राज० पत्रिका दिनांक 28.3.2018

आत्मनिर्भर मंदिरों की भोग राशि बढ़ी

उदयपुर. देवस्थान विभाग ने प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के 204 मंदिरों की भोग राग की राशि में वृद्धि की है। विभाग के इस आशय के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सहमति प्रदान करते हुए अप्रेल 2018 से स्वीकृति प्रदान की है। देवस्थान आयुक्त जितेन्द्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि महंगाई में लगातार वृद्धि को देखते हुए लम्बे समय से पुजारी भोग सामग्री एवं राशि में बढ़ोतरी का आग्रह कर रहे थे। राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के 204 मंदिरों में से 165 मंदिर ऐसे थे जिन्हें पूर्व में 36000 रुपए वार्षिक से कम भोग सामग्री दी जा रही थी, उसे बढ़ा कर 36000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है। साथ ही 39 मंदिर जिन्हें 36000 रुपए वार्षिक से अधिक भोग राग राशि दी जा रही थी, उनको भोगराग राशि में 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए अगले राउण्ड फीगर तक वृद्धि का प्रावधान किया गया है। स्वीकृति के अनुसार प्रत्येक मंदिर पर न्यूनतम 18000 रुपए वार्षिक राशि भोग के लिए तथा 18000 रुपए की राशि अन्य प्रबन्धन जैसे बिजली, पानी, सफाई, पोशाक, उत्सव आदि पर खर्च की जाएगी।

APS website पर डाला 28/3

दैनिक भास्कर दिनांक 28.3.2018

आत्म निर्भर मंदिरों की भोग राशि बढ़ाई

सरकार ने देवस्थान विभाग के नियंत्रित राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के 204 मंदिरों की भोग राग राशि में बढ़ोतरी कर दी है। आयुक्त जितेन्द्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि विभाग के भेजे भोगराग वृद्धि प्रस्ताव को सरकार ने 1 अप्रेल से लागू करने की मंजूरी दे दी है। राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के 204 मंदिरों में से 165 मंदिरों को 36 हजार से कम वार्षिक भोग सामग्री दी जाती है। इसे अब 36 हजार रुपए वार्षिक कर दिया गया है। वहीं 36 हजार वार्षिक भोग राग राशि वाले 39 मंदिरों की राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रत्येक मंदिर पर न्यूनतम 18 हजार वार्षिक राशि भोग और शेष 18 हजार राशि बिजली, पानी, सफाई, पोशाक, उत्सव पर खर्च होगी।